

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 11(9)त.शि./2004

जयपुर, दिनांक : 7 फरवरी, 2008

निदेशक (शिक्षा),
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
जोधपुर।

विषय :- शैक्षणिक भ्रमण हेतु राज्य से बाहर जाने की अनुमति के संबंध में।
संदर्भ :- आपका पत्रांक : 3(1)प्राशिनि/ई-2/295 दिनांक 15.1.2008

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा प्रेषित शैक्षणिक भ्रमण के मानदण्डों का निर्देशानुसार अनुमोदन किया जाता है। शैक्षणिक भ्रमण की अनुमति हेतु निर्धारित स्वीकृत वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही दी जावे। इस हेतु अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा।

13/2

13/2



भवदीय,

(आर.के.गुप्ता)
विशेषाधिकारी, त.शि.

F. B (D) शासनि/६-२/२१८
 15.01.2008

परिशिष्ट-"अ"

क्र.सं.	शैक्षणिक भ्रमण के वर्तमान मापदण्ड	शैक्षणिक भ्रमण के प्रस्तावित मापदण्ड	
		राज्य के भीतर शैक्षणिक भ्रमण के मापदण्ड	राज्य के बाहर शैक्षणिक भ्रमण के मापदण्ड
1	30 विद्यार्थियों तक के ग्रुप के साथ अधिकतम 2 राजपत्रित अधिकारी, 01 च.शै.क. ही भेजा जायेगा।	15 विद्यार्थियों तक के ग्रुप के साथ अधिकतम 01 राजपत्रित अधिकारी, 01 अराजपत्रित कर्मचारी तथा 01 च.शै.क. विद्यार्थियों के साथ यात्रा करेंगे। 15 से अधिक विद्यार्थियों तक के ग्रुप के साथ अधिकतम 2 राजपत्रित अधिकारी, 01 अराजपत्रित कर्मचारी तथा 01 च.शै.क. विद्यार्थियों के साथ यात्रा करेंगे।	15 विद्यार्थियों तक के ग्रुप के साथ अधिकतम 01 राजपत्रित अधिकारी, 01 अराजपत्रित कर्मचारी तथा 01 च.शै.क. विद्यार्थियों के साथ यात्रा करेंगे। 15 से अधिक विद्यार्थियों तक के ग्रुप के साथ अधिकतम 2 राजपत्रित अधिकारी, 01 अराजपत्रित कर्मचारी तथा 01 च.शै.क. विद्यार्थियों के साथ यात्रा करेंगे।
2	भ्रमण की अधिकतम अवधि 08 दिवस की होगी जिसमें आने व जाने का समय भी सम्मिलित होगा	भ्रमण की अधिकतम अवधि 08 दिवस की होगी जिसमें आने व जाने का समय भी सम्मिलित होगा	भ्रमण की अधिकतम अवधि 14 दिवस की होगी जिसमें आने व जाने का समय भी सम्मिलित होगा
3	भ्रमण की अधिकतम दूरी 2000 कि.मी. होगी। जिसमें दर्शनीय स्थानों की दूरी भी सम्मिलित होगी।	भ्रमण की अधिकतम दूरी 2000 कि.मी. होगी। जिसमें दर्शनीय स्थानों की दूरी भी सम्मिलित होगी।	भ्रमण की अधिकतम दूरी 5000 कि.मी. होगी। जिसमें दर्शनीय स्थानों की दूरी भी सम्मिलित होगी।
4	भ्रमण हेतु छात्रों को कन्सेवशन दर पर रेल/बस किराया एवं स्थानीय भ्रमण हेतु वाहन का किराया ही देय होगा जोकि अधिकतम 2000/- ₹0 होगा।	भ्रमण हेतु छात्रों को कन्सेवशन दर पर रेल/बस किराया एवं स्थानीय भ्रमण हेतु वाहन का किराया ही देय होगा जोकि अधिकतम 5000/- ₹0 होगा।	भ्रमण हेतु छात्रों को कन्सेवशन दर पर रेल/बस किराया एवं स्थानीय भ्रमण हेतु वाहन का किराया ही देय होगा जोकि अधिकतम 7500/- ₹0 होगा।
5	इस भ्रमण में मंत्रालयिक कर्मचारी कोई नहीं होगा।	यदि एक पोलिटिकल की किसी ब्रांच में भ्रमण में जाने वाले छात्रों की संख्या 15 से कम होगी तो 02 या अधिक शाखा के छात्रों को एक साथ भ्रमण पर भेजा जायेगा।	यदि एक पोलिटिकल की किसी ब्रांच में भ्रमण में जाने वाले छात्रों की संख्या 15 से कम होगी तो 02 या अधिक शाखा के छात्रों को एक साथ भ्रमण पर भेजा जायेगा।
6	भ्रमण हेतु सिर्फ राजस्थान में ही जाने का प्रावधान है।	भ्रमण की अवधि में अगर छात्र अनुशासन हीनता करते हैं तो संबंधित अधिकारी अपने विवेक का उपयोग करते हुए कार्यवाही करेंगे। यदि आवश्यक समझा जाये तो भ्रमण को बीच में स्थगित किया जा सकेगा।	भ्रमण की अवधि में अगर छात्र अनुशासन हीनता करते हैं तो संबंधित अधिकारी अपने विवेक का उपयोग करते हुए कार्यवाही करेंगे। यदि आवश्यक समझा जाये तो भ्रमण को बीच में स्थगित किया जा सकेगा।